राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–181/2025

अशोक कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर (भू–अभिलेख), जालौर।
3. तहसीलदार, सांचौर, जिला जालौर।
4. मांगीलाल पटवारी, पटवार मंडल, हाडेत्तर, तहसील सांचौर, जिला जालौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : **21.01.2025**
आदेश की दिनांक :

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री रघुनाथ विश्नोई, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मंडल, तहसील सांचौर, जिला जालौर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मंडल डाबाल, में निजी प्रत्यर्थी संख्या 04 को समंजित करने के उद्देश्य से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी का वर्ष 2021 में निधन हो गया है। अपीलार्थी के एक नाबालिग पुत्र है जिसकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा की जाती है। ऐसे में अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए बार–बार स्थानांतरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी पटवारी के पद पर पटवार मंडल, तहसील सांचौर, जिला जालौर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मंडल डाबाल में प्रशासनिक एवं राज्यहित में किया गया है। किसी भी कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि उसे एक ही स्थान पर पदस्थापित रखा जावे। नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में अधिकरण द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि लिया गया निर्णय विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।
5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य